सं0 संख्या – 15/औ0–14–06/2015......................../स्वा0

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

यतः बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती सीमा कुमारी (निलंबित) औषधि निरीक्षक, खगड़िया (शहरी क्षेत्र) सम्प्रति मुख्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया का कार्यालय जिन्हे विभागीय अधिसूचना संख्या–251(15) दिनांक–06.05.2015 द्वारा निलंबित किया गया था एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार सिविल सर्जन, गया द्वारा देय होगा, के विरूद्ध अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित कदाचार, अनियमित कार्य करने, अभद्र व्यवहार करने एवं भयादोहन करने के लिए आरोपित है। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि :–

उक्त श्रीमती सीमा कुमारी के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोप के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अर्न्तगत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाए।

श्रीमती सीमा कुमारी (निलंबित) औषधि निरीक्षक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अंदर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री शेखर चन्द्र वर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–15, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्रीमती सीमा कुमारी को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वंय सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षण कराने के लिए इच्छुक है।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ निर्गत किया जा रहा है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.../स्वा0, पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः–साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

कृ0प0उ0

ज्ञापांक–.../स्वा0, पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः–साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी श्री शेखर चन्द्र वर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.......488(15)......./स्वा0, पटना, दिनांक–.......7/8/15..............

प्रतिलिपिः–साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति प्रशाखा पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, प्रशाखा–15, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्रीमती सीमा कुमारी (निलंबित) औषधि निरीक्षक, सिविल सर्जन के कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7/8/15
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।